

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन पत्र संख्या 66/2021 अनवान गोमाराम बनाम धमण्डाराम

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय जाखड़ों की ढाणी पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 08.10.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय, जाखड़ों की ढाणी पर पत्रावली पेश हो।

08.10.2021

(उपस्थित अधिकारी),
उपस्थित अधिकारी, बाड़मेर

पत्रावली ग्राम पंचायत मुख्यालय जाखड़ों की ढाणी राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं। अप्रार्थीगण आज सूचना बावजूद अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध ईकतरफा कार्रवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी ने भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111, 128 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत मौजा अणदे का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 870/565 रकबा 16.03 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 871/565 रकबा 59.06 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 75.09 बीघा भूमि के अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

अतः मौजा अणदे का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नंबर 870/565 रकबा 16.03 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 871/565 रकबा 59.06 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 75.09 बीघा भूमि अभिलिखत खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) की जावे। कमीशनर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल सुमाह होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

(उपस्थित अधिकारी),
उपस्थित अधिकारी, बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र जाखड़ों की ढाणी

प्रार्थीगण
1 गोमाराम पुत्र बागाराम जाति जाट
निवासी अणदे का तला तहसील व
जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1 घमण्डाराम पुत्र बागाराम 2 श्रीमती
पूरोदेवी पत्नी गंगाराम 3 दमाराम 4
जुंजाराम पिसरान गंगाराम 5 चुतराराम
गोद पुत्र वनाराम 6 दौलाराम पुत्र
सुरताराम 7 दुर्गाराम पुत्र हेमाराम 8
भंवराराम 9 रामाराम पिसरान हरजीराम
10 श्रीमती मोनीदेवी पत्नी हुकमाराम 11
कोनाराम पुत्र हरजीराम 12 श्रीमती सोनी
पत्नी मेहराराम 13 रामाराम 14
लक्ष्मणराम 15 लाखाराम पिसरान
मेहराराम 16 चूनाराम 17 गुलाराम
पिसरान तिलाराम 18 श्रीमती मोनीदेवी
पत्नी देवाराम 19 नन्दराम गोद पुत्र
फुसाराम 20 जुगताराम 21 आसुराम 22
टीकूराम पिसरान हेमाराम जातियान जाट
निवासीयान अणदे का तला (जाखड़ों की
ढाणी) तहसील एवं जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्
राजस्व आवेदन संख्या-66/2021 दिनांक-08.10.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा अणदे का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील एवं जिला
बाड़मेर के खसरा नंबर 870/565 रकबा 16.03 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा नंबर 871/565
रकबा 59.06 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 75.09 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है।
उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए
एक निश्चित तारीख मुकरर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नहीं करने
बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये
मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



क्रमांक/रीडर/2021/ 5049-5052

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य
अंकित करें।
2. पटवारी जाखड़ों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय
रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी गोमाराम पुत्र बागाराम जाति जाट निवासी अणदे का तला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण घमण्डाराम पुत्र बागाराम वगैरहा जातियान जाट निवासीयान अणदे का तला
(जाखड़ों की ढाणी) तहसील एवं जिला बाड़मेर।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

दिनांक- 08/10/2021

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

कृपक संख्या 123 जाट

रामाराम

रामाराम 80-गोमाराज